

प्रेस नोट संख्या- 33

दिनांक 18.05.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना जायस पुलिस द्वारा 45 ग्राम स्मैक के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 18.05.2025 को थाना जायस पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान 01 नफर अभियुक्त अल्लू पुत्र मुन्नू निवासी मोहल्ला कंचाना थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष को 45 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जायस पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

- अल्लू पुत्र मुन्नू निवासी मोहल्ला कंचाना थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 55 वर्ष को ।
बरामदगी-

- कुल 45 ग्राम स्मैक ।
पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 106/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार मिश्र थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. का0 वीर प्रताप सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. का0 आकाश सिंह थाना जायस जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 588/12 धारा 109,41 सीआरपीसी थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 663/12 धारा 323,504,325 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 439/14 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना जायस जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 160/17 धारा 279,338,427 भादवि थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 154/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना जायस जनपद अमेठी ।